

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह  
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉंची/हजारीबाग/  
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन  
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉंची, दिनांक : 03-08-17

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	811.530

कुल आवंटित राशि - रुपये आठ करोड़ ग्यारह लाख तीरेपन हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध राशि ₹ 10209.50 लाख (एक सौ दो करोड़ नौ लाख पचास हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

  
(श्वेता कुमारी)  
सहा. अभि.

  
(मुक्ति साहा)  
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014.-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 30 जनवरी 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट ( <http://www.wrdjharkhand.nic.in> ) पर भी उपलब्ध है।  
अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह) 28/2  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 81 रॉची, दिनांक :- 03-08-17  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/गुमला/चाईबासा/खूँटी/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/हजारीबाग/जामताड़ा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह) 28/2  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 81 रॉची, दिनांक :- 03-08-17  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(श्वेता कुमारी)  
सहा. अभि.

(मुक्ति भाषम चौरसिया)  
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह) 28/2  
प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक  
 लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना  
 भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक 81 दिनांक 02-08-19 का अनुलग्नक

पृष्ठ संख्या 1

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2017-2018	वित्त शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तों			वित्त शीर्ष-02-भाजा व्यय			वित्त शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							वित्त शीर्ष-04-शौचालय/शौच संयोजन		वित्त शीर्ष-07-अन्य व्यय		याशि लाख रुपये में	अभियुक्ति
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का भत्ता	एलएडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, ई. कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	भर्ती	विद्युत व्यय	शौचालय/शौच संयोजन	वित्त शीर्ष-07-अन्य व्यय	कुल योग						
1	मुख्य अति, अग्रिम योजना, सैदी	21,000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22,100		19	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.500	0.500	0.000	0.050	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,450			
		कुल आवंटन	21,000	0.000	0.000	0.700	0.800	0.150	0.000	0.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23,550			
2	मुख्य अतिरिक्त जलसंसाधन विभाग, देवर	189,000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.100	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	190,100			
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.100	0.000	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,400			
		कुल आवंटन	189,000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.100	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	191,500			
3	मुख्य अतिरिक्त जलसंसाधन विभाग, सैदी	125,000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.100	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	126,100			
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.100	0.000	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,400			
		कुल आवंटन	125,000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.100	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	127,500			
4	मुख्य अतिरिक्त यांत्रिक, सैदी	23,000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.100	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24,100			
		अतिरिक्त आवंटन	16,100	0.000	0.400	0.700	0.500	0.000	0.250	1,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19,050			
		कुल आवंटन	39,100	0.000	0.400	0.900	0.800	0.200	0.250	1,500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43,150			
5	जलसंध अंचल, गुजरात	82,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.050	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	82,900			
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.060	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,060			
		कुल आवंटन	82,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.060	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	82,960			
6	जलसंध अंचल, इलाहाबाद	96,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.050	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	96,900			
		अतिरिक्त आवंटन	50,000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50,660			
		कुल आवंटन	146,000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.110	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	147,560			
7	अग्रिम योजना 90 रुमका	10,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10,400			
		अतिरिक्त आवंटन	30,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30,000			
		कुल आवंटन	40,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40,400			
8	अग्रिम योजना 90 साहेबजाल	10,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10,700			
		अतिरिक्त आवंटन	20,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20,000			
		कुल आवंटन	30,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30,700			
9	जलसंध अंचल, कुटी	215,000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	215,750			
		अतिरिक्त आवंटन	116,000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	117,100			
		कुल आवंटन	331,000	0.000	0.000	0.500	0.500	0.050	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	332,850			

(श्वेता कुमारी)  
सहायक अभियंता

(मुक्ति आश्रम वीरसिया)  
उप सचिव (आरिओ)

(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

26/07

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2017-2018	वित्तवर्ष शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें									वित्तवर्ष शीर्ष-03-प्रशासनिक खर्च							वित्तवर्ष शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		वित्तवर्ष शीर्ष-07-विशिष्ट प्रभार		कुल योग	अभियुक्ति
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का भत्ता	49N27010300 1070101	49N27010300 1070110	49N270103001 070112	49N27010300 1070213	49N270103001 070315	49N27010300 1070316	49N270103001 070323	49N27010300 1070333	49N27010300 1070334	49N27010300 1070337	49N270103001 070442	49N270103001 070760	कुल योग	अभियुक्ति						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
10	जलपथ प्रमंडल, गुमला	पूर्व का आगटन	148,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	148,450								
		अतिरिक्त आगटन	64,000	0.000	0.000	0.400	0.400	0.000	0.000	0.030	0.000	1,000	0.000	0.200	66,030								
		कुल आगटन	212,000	0.000	0.000	0.600	0.600	0.000	0.000	0.080	0.000	1,000	0.000	0.200	214,480								
11	जलपथ प्रमंडल सं-1, चक्रधरपुर	पूर्व का आगटन	132,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	132,450								
		अतिरिक्त आगटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.400								
		कुल आगटन	132,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.400	132,850								
12	जलपथ प्रमंडल सं-2, हजारीबाग	पूर्व का आगटन	132,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	132,450								
		अतिरिक्त आगटन	28,000	0.000	0.300	0.800	0.400	0.000	0.350	0.030	0.000	0.400	0.000	0.150	30,430								
		कुल आगटन	160,000	0.000	0.300	1,000	0.600	0.000	0.350	0.080	0.000	0.400	0.000	0.150	162,880								
13	जलपथ प्रमंडल सं-2, -2, डैनपुर गुमला	पूर्व का आगटन	72,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	72,450								
		अतिरिक्त आगटन	66,000	0.000	0.000	0.500	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.250	67,200								
		कुल आगटन	138,000	0.000	0.000	0.700	0.600	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.250	139,650								
14	जलपथ प्रमंडल सं-1, सिमडेगा	पूर्व का आगटन	202,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	202,750								
		अतिरिक्त आगटन	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	0.700								
		कुल आगटन	202,000	0.000	0.000	0.650	0.200	0.000	0.250	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	203,450								
15	क्याकण प्रमंडल सं-2, संकी	पूर्व का आगटन	280,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	280,450								
		अतिरिक्त आगटन	180,000	0.000	0.300	0.200	0.400	0.000	0.150	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	181,130								
		कुल आगटन	460,000	0.000	0.300	0.400	0.600	0.000	0.150	0.130	0.000	0.000	0.000	0.000	461,580								
16	विशेष सृ-अर्जन परा०, देवघर	पूर्व का आगटन	96,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	96,750								
		अतिरिक्त आगटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	0.350	0.350								
		कुल आगटन	96,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.100	0.000	0.300	0.300	0.000	97,100								
17	विशेष सृ-अर्जन परा०, संकी	पूर्व का आगटन	158,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	158,750								
		अतिरिक्त आगटन	95,000	0.000	0.000	0.600	0.400	0.000	0.150	0.050	0.000	0.000	0.000	0.200	96,400								
		कुल आगटन	253,000	0.000	0.000	0.800	0.600	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.300	0.200	255,150								
18	सिंहबई प्रमंडल गाड़ियां, शिबिर-सहायगा	पूर्व का आगटन	160,000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	160,450								
		अतिरिक्त आगटन	0.000	0.000	0.000	1,200	0.350	0.000	0.000	0.030	0.000	0.500	0.000	0.150	2,230								
		कुल आगटन	160,000	0.000	0.000	1,400	0.550	0.000	0.000	0.080	0.000	0.500	0.000	0.150	162,680								

(रखता कुमाठी)  
सहायक अभियंता

81  
03.08.17

(मुक्ति अर्जन बोर्ड/सिमा)  
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	विस्तार शीर्ष-01-वैतन एवं भत्तें	विस्तार शीर्ष-02-प्रशासनिक व्यय										विस्तार शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां अन्य व्यय		विस्तार शीर्ष-07-विक्रि प्रभार अन्य व्यय		कुल योग	अभिव्यक्ति	
			वैतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एजाउटींग सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं रखरखाव	विक्रि प्रभार					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
19	विभाई प्रमंडल, सिकंदिया	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	96,000 40,000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.200	0.400 0.600	0.000 0.000	0.150 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.250	96,400 41,000		
20	विभाई यांत्रिक प्रमंडल, देवर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	135,000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.500	0.200 0.200	0.000 0.400	0.000 0.150	0.000 0.000	0.050 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.400	0.000 0.000	137,400 1,540		
21	विभाई यांत्रिक प्रमंडल, सी०	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	144,000 225,000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.200	0.200 0.200	0.000 0.000	0.150 0.150	0.000 0.000	0.050 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.450	0.300 0.700	0.000 0.000	144,750 227,750		
	अतिरिक्त आवंटन का योग		787,100	0.000	1,000	6,350	5,700	0.040	1,750	0.790	0.000	2,850	4,100	1,850	811,530				

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विचि-14/2010-38/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत भद में दिनका 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से शिफार्कण के आधार पर ही गुणतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि- रुपये आठ करोड़ न्यासक लाख तीसपन हजार मात्र

(रश्ता कुमारी)  
सहायक अभियंता

(सुकित सुबन/सीतलका)  
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

81  
03-08-17

26/07/12